लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

क्रमांक 32 सन् 2012*

[*19 जून, 2012*]

लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3) अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है;

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों से संबंधित सम्मेलन में अंगीकार किए गए प्रस्ताव, जिसमें बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित किया गया है, उसे भारत सरकार द्वारा तारीख 11 दिसम्बर, 1992 को स्वीकार किया गया है;

बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से सम्मान करते हुए तथा किसी न्यायिक प्रक्रिया के सभी उपायों और सभी प्रक्रमों के माध्यम से बालकों को अंतर्वलित करते हुए संरक्षण किया जाए;

यह आवश्यक है कि विधि ऐसी रीति में प्रवर्तित हो जिससे कि प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को अधिक महत्व दिया जाए और बालक के शारीरिक स्वास्थ्य, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके;

बालक के अधिकारों पर हुए सम्मेलन के राज्य पक्षकारों को यह भार अपने ऊपर लेना अपेक्षित है कि सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपायों द्वारा,—

(क) किसी बालक को किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप के उत्पीड़न या उत्प्रेरणा से;

(ख) वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालक के शोषण से;

(ग) अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों के शोषणात्मक उपयोग का निवारण करें;

बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध है, और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाए।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** है।

---

* राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 19 जून, 2012 को प्राप्त हुई। अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 1 में दिनांक 20-6-2012 पृष्ठ 1-14 पर प्रकाशित। [सं० क्र० 34]

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला'' का वही अर्थ है जो धारा 5 में है;

(ख) ''गुरुतर लैंगिक हमला'' का वही अर्थ है जो धारा 9 में है;

(ग) ''सशस्त्र बल या सुरक्षा बल'' से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है;

(घ) ''बालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है, अभिप्रेत है;

(ङ) ''घरेलू संबंध'' का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) के खंड 2(च) में है;

(च) ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' का वही अर्थ है जो धारा 3 में है;

(छ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) ''धार्मिक संस्था'' से उसका वही अर्थ है जो धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) में है;

(झ) ''लैंगिक हमला'' का वही अर्थ है जो धारा 7 में है;

(ञ) ''लैंगिक उत्पीड़न'' का वही अर्थ है जो धारा 11 में है;

(ट) ''साझी गृहस्थी'' से ऐसी गृहस्थी, जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति या किसी प्रक्रम पर बालक के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रहा है, अभिप्रेत है;

(ठ) ''विशेष न्यायालय'' से धारा 28 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है;

(ड) ''विशेष लोक अभियोजक'' से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध

क.—प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

3. प्रवेशन लैंगिक हमला.—कोई व्यक्ति ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' करता है यदि वह—

1. 14-11-2012; देखिए अधिसूचना क्रमांक का० आ० 2705(अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2012.

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

4. प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड.—जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ख.—गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

5. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला.—

(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर—

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) किसी थाने के परिसर, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जहां उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv) जब वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की जाए; या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,—

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां वह व्यक्ति तैनात है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv) जहां सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात या पहचाना गया उक्त व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह (रिमांड होम), संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ङ) जो कोई किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

स्पष्टीकरण.—जहां किसी बालक पर, कि एक या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा उसके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत गैंग प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उस रीति में दायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई घातक आयुध, आग्नेयास्त्र, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करके किसी बालक को घोर उपहति कारित करता है या उसके/उसकी जननेंद्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति या क्षति पहुंचाता है; या

(ञ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,—

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ह्रास कारित करता है जिससे बालक कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या

(ii) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है;

(iii) बालक को ह्यूमन इम्युनोडेफिसियन्सी वाइरस या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी या अस्थायी रूप से ग्रस्त कर देता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नित्य प्रतिदिन का काम करने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से ह्रास कर सकता है; या

(ट) जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;

(ठ) जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार-बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ) जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता या पोषण करने वाला नातेदार या बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध या बालक के साथ साझे गृहस्थ में रहते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई किसी बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति में होते हुए किसी संस्था या बालक के गृह या कहीं और बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है; या

(ध) सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(न) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है या नंगा करके प्रदर्शन करता है;

उसके द्वारा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

6. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड.—जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ग.—लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

7. लैंगिक हमला.—जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

8. लैंगिक हमले के लिए दंड.—जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

घ.—गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

9. गुरुतर लैंगिक हमला .—

(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर—

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) किसी थाने के परिसर चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जहां उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv) जहां कोई पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात या पहचाना गया व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,—

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां वह व्यक्ति तैनात है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv) जहां सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात या पहचाना गया व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह (रिमांड होम), संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ङ) जो कोई किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;

स्पष्टीकरण.—जहां किसी बालक पर, कि एक या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस उपधारा के अर्थांतर्गत गैंग लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उस रीति में दायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई बालक पर घातक आयुध, आग्नेयास्त्र, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करके किसी बालक को घोर उपहति कारित करता है या उसके/उसकी जननेंद्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति, जिसमें क्षति सम्मिलित है, पहुंचाता है; या

(ञ) जो कोई किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जो—

(i) बालक को शारीरिक रूप से अशक्त कर देता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ह्रास कारित करता है जिससे बालक कार्य करने में अयोग्य हो जाता है;

(ii) बालक को ह्यूमन इम्युनोडेफिसियन्सी वायरस या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त कर देता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नित्य प्रतिदिन का काम करने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से ह्रास कर सकता है; या

(ट) जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;

(ठ) जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार-बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ) जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता या पोषण करने वाला नातेदार या बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध या बालक के साथ साझे गृहस्थ में रहते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई किसी बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति में होते हुए किसी संस्था या बालक के गृह या कहीं और बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है; या

(ध) सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(न) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है या नंगा करके प्रदर्शन करता है;

उसके द्वारा गुरुतर लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

10. गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड.—जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ङ.—लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

11. लैंगिक उत्पीड़न.—किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया है जब ऐसा व्यक्ति—

(i) लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित इस आशय के साथ करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए; या

(ii) लैंगिक आशय से उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अपने शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है;

(iii) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या

(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार-बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क बनाता है; या

(v) बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में अंतर्वलित इलेक्ट्रानिक फिल्म या अंकीय या अन्य किसी रीति के माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया का किसी भी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है।

(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।

स्पष्टीकरण.—''लैंगिक आशय'' में अंतर्वलित कोई प्रश्न तथ्य का प्रश्न होगा।

12. लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड.—जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्मानें से भी दंडनीय होगा।

अध्याय 3

अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड

13. अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग.—जो कोई किसी बालक का उपयोग मीडिया (जिसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों या विज्ञापन या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं) के किसी प्ररूप में लैंगिक परितोषण, जिसके अंतर्गत—

(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन;

(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों (प्रवेशन के साथ या बिना) में करना;

(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन है;

वह किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''किसी बालक का उपयोग'' पद के अंतर्गत मुद्रण, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर या अन्य तकनीक के किसी माध्यम से अश्लील साहित्य तैयार, उत्पादन, प्रस्तुत, प्रसारित, सुकर और वितरण करने के लिए किसी बालक को अंतर्वलित करना है।

14. अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करना.—(1) जो कोई अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करता है दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की होगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(2) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा।

(3) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह कठोर आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा।

(4) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आठ वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा।

(5) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करता है, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भागी होगा।

15. बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड.—कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को भंडारित करता है, वह किसी भी प्रकार के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अध्याय 4

दुष्प्रेरण और किसी अपराध को कारित करने का प्रयास

16. किसी अपराध का दुष्प्रेरण.—कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो—

पहला—उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा—उस अपराध को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में, और उस अपराध को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा—उस अपराध के लिए किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1.—कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है।

स्पष्टीकरण 2.—जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के लिए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है उस कार्य के किए जाने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 3.—जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य माध्यम से, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने का प्रयोग या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाली किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के फायदों के माध्यम से भर्ती परिविहित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त करता है उसको उस कार्य के करने में सहायता करना कहा जाता है।

17. दुष्प्रेरण के लिए दंड.—जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।

स्पष्टीकरण.—कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप तब किया गया कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड़यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

18. किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड.—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने के लिए कोई कार्य करता है वह अपराध के लिए उपबंधित किसी प्रकार के किसी ऐसी अवधि के कारावास से जो यथास्थिति, आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

अध्याय 5

मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया

19. अपराधों की रिपोर्ट करना.—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी हैं) जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा:—

(क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट; या

(ख) स्थानीय पुलिस।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में—

(क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी;

(ख) सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी;

(ग) पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, उसे उपधारा (2) के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे कि बालक अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तु को समझ सके।

(4) उस दशा में जहां बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है वहां बालक को यदि वह उसे समझने में असफल रहता है कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए जब कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो गया है कि वह बालक जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तब वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसे यथाविहित रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर तुरंत ऐसी देखरेख और संरक्षण में (जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है) रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(6) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना परन्तु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावना में जानकारी देने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।

20. मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता.—मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में लाए बिना किसी सामग्री या वस्तु जो किसी माध्यम के उपयोग से, किसी बालक के

लैंगिक शोषण संबंधी है (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालिका के अश्लील प्रदर्शन करना भी है) यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा।

21. मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड.—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है, वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) किसी कंपनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे।

22. मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड.—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन पर किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अवमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या बदनाम करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध कराता है, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(3) जो कोई बालक नहीं है, किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना उसे मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराता है जिससे ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित होता वह ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

23. मीडिया के लिए प्रक्रिया.—(1) कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसका प्रतिष्ठा हनन या उसकी गोपनीयता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।

(2) किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट नहीं करेगी जिससे बालक की पहचान का प्रकटन अग्रसरित होता हो:

परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकरण के लिए अनुज्ञात कर सकेगी यदि उसकी राय में ऐसा प्रकरण, बालक के हित में है।

(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी संयुक्त रूप और पृथक् रूप से अपने कर्मचारी के किसी कार्य और लोप के लिए दायी होगी।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छह मास से अन्यून नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

अध्याय 6

बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया

24. बालक के कथन का अभिलिखित किया जाना.—(1) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और जहां तक संभव हो, उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।

(3) अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी, बालक या परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में न आए।

(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा।

(5) पुलिस अधिकारी तब तक यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो।

25. मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन.—(1) यदि बालक का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया है तो ऐसे कथन का अभिलेखन मजिस्ट्रेट, उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा:

परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नहीं होगा।

(2) मजिस्ट्रेट, बालक और उसके अभिभावकों या प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर, प्रदान करेगा।

26. अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध.—(1) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक के माता-पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा।

(2) जहां आवश्यक है, वहां, यथस्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिए जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(3) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(4) जहां आवश्यक है, वहां यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए।

27. बालक की चिकित्सीय परीक्षा.—(1) उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस

अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164क के अनुसार संचालित की जाएगी।

(2) यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।

(3) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता हो।

(4) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट बालक के माता-पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सा जांच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सा जांच, चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

अध्याय 7

विशेष न्यायालय

28. विशेष न्यायालयों को पदाभिहित किया जाना.—(1) त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को जो एक विशेष न्यायालय होगा, पदाभिहित करेगी:

परन्तु यदि कोई सेशन न्यायालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है, तब ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का [उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67ख के अधीन अपराधों का, जहां तक वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालक को चित्रित करने वाली लैंगिक सुस्पष्ट करने वाली सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित है, या बालक का आनलाईन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं, विचारण की अधिकारिता होगी।

29. कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा.—जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

30. आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा.—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अंतर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है।

31. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना.—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध (जमानत और बंधपत्र के संबंध में उपबंधों सहित) किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय किसी सेशन न्यायालय को समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा।

32. विशेष लोक अभियोजक.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केवल मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि वह किसी अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए व्यवसाय में रहा हो।

(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

अध्याय 8

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन

33. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां.—(1) कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकेगा।

(2) यथास्थिति, विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसेल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, या पुनर्परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा जो पुनः उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा।

(3) विशेष न्यायालय, यदि वह आवश्यक समझे, विचारण के दौरान बालक के लिए बार-बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) विशेष न्यायालय, बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की, जिसमें बालक अपना भरोसा रखता है, न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा।

(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में परीक्षण के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाएगा।

(6) विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए।

(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की गई है:

परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बालक की पहचान में बालक के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी की पहचान या कोई अन्य सूचना जिसके द्वारा बालक की पहचान का पता चल सके सम्मिलित होंगे।

(8) समुचित मामलों में विशेष न्यायालय बालक के लिए उसे कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए किसी दंड के अतिरिक्त, प्रतिकर के ऐसे संदाय, जो विहित किया जाए या ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए निदेश दे सकेगा।

(9) विशेष न्यायालय के पास इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराध का विचारण इस प्रकार करेगा, मानो वह सेशन न्यायालय हो, और यथासंभव सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

34. बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने की दशा में प्रक्रिया.—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् किया जाएगा और वह ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3) विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश मात्र पश्चात्वर्ती इस सबूत के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा यथाअवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी।

35. बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि.—(1) बालक की साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए, यदि कोई हो, विशेष न्यायालय द्वारा कारण अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा।

36. प्रमाणित करते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना.—(1) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य के अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया है, जब कि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता को सूचित करने की स्थिति में है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा।

37. विचारण का बंद कमरे में संचालन.—विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है :

परंतु जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, वहाँ वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 284 के उपबंधों के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही करेगा।

38. बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता लेना.—(1) जब कभी आवश्यक हो, न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी ऐसे अनुवादक या दुभाषिए, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(2) यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है तो विशेष न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए उस क्षेत्र में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित कोई व्यक्ति या उस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

39. विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश.—राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक को सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करेगी।

40. विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 301 के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसेल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे:

परंतु बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसेल का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध कराएगा।

41. कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना.—धारा 3 से धारा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार के मामले में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता-पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों।

[1][**42. आनुकल्पिक दंड**—जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166-क, धारा 354-क, धारा 354-ख, धारा 354-ग , धारा 354-घ, धारा 370, धारा 370-क, धारा 375, धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ङ या धारा 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।''

42-क. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा।]

---

1. **2013 के अधि० सं० 13 की धारा 28 द्वारा (3.2.2013 से) प्रतिस्थापित।** प्रतिस्थापन के पूर्व परन्तुक निम्नवत् था :

   42. अनकल्पिक दंड.—जहां कोई कार्य का लोप इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित करता है तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराधी ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाया गया अपराधी उस विधि या इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित दंड के लिए, जो मात्रा में गुरुतर हो, दायी होगा।

43. अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता.—केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि—

(क) साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता-पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरुक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित हैं, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों (जिनमें पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं) को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

44. अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी.—(1) यथास्थिति, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मानीटरी ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करेंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो उन्हें बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन निहित की गई हैं।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन अपने कार्यकलापों में, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट को शामिल करेंगे।

45. नियम बनाने की शक्ति.—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 19 की उपधारा (4); धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (3) और धारा 38 के अधीन किसी अनुवादक या दुभाषिए या किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क करने की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की अर्हताएं और अनुभव तथा संदेय फीस;

(ख) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सा उपचार;

(ग) धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन प्रतिकर का संदाय;

(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के उपबंधों की आवधिक मानीटरी की रीति।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा।

यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

[धारा 2(ग) देखें]

निम्नलिखित के अधीन गठित सशस्त्र बल और सुरक्षा बल

(क) वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45);

(ख) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46);

(ग) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47);

(घ) बंबई होमगार्ड अधिनियम, 1947;

(ङ) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47);

(च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50);

(छ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66);

(ज) तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30);

(झ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25);

(ञ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35);

(ट) नौ-सेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62);

(ठ) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34);

(ड) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अधिनियम, 1986 (1986 का 47);

(ढ) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23);

(ण) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53);

(त) विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 (1988 का 34);

(थ) प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56);

(द) राज्य की सिविल बलों की सहायता करने के लिए और आंतरिक अशांति के दौरान दलों को नियोजित करने के लिए सशक्त बनाने हेतु या अन्यथा उनके अंतर्गत सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित सशस्त्र बल भी हैं के राज्य विधियों के अधीन गठित राज्य पुलिस बल (जिसके अंतर्गत सशस्त्र कांस्टेबुलरी भी हैं)।

———